[2026:RJ-JP:19232]

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil First Appeal No. 121/2007

Prabhu Dayal Sharma S/o Shri Bhura (alias Burya), R/o Village Nagrajpura, Tehsil Bassi, Distt. Jaipur.

----Defendant-Appellant

Versus

Sitaram Sharma S/o Shri Ram Sahai Ji Sharma, R/o Village Nagrajpura, Tehsil Bassi, Distt. Jaipur.

----Plaintiff-Respondent

For Appellant(s) : Mr. Praveen Jain
For Respondent(s) : Mr. OP Mishra

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI
Order

06/05/2026

प्रतिवादी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 1/26 अंतर्गत धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता पर सुना गया।

प्रतिवादी/अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 09.05.2008 को दोनों पक्षों की उपस्थिति में वादग्रस्त सम्पत्ति की आगामी तारीख पेशी तक यथास्थिति को बनाए रखने के संबंध में आदेश दिया गया था, उससे पूर्व इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 10.08.2007 को विद्वान निष्पादन न्यायालय को प्रतिवादी/अपीलार्थी के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित नहीं किए जाने का आदेश दिया गया था। दिनांक 10.08.2007 के उक्त अंतरिम आदेश को दिनांक 07.08.2008 के आदेश के माध्यम से संशोधित किया गया। दिनांक 09.05.2008 का यथास्थिति का आदेश किसी भी अन्य आदेश के माध्यम से समाप्त नहीं किया गया है। यदि दिनांक 09.05.2008 के आदेश को प्रभावी नहीं किया जाता है तो प्रतिवादी/अपीलार्थी के द्वारा अपील

प्रस्तुत करने का उद्देश्य विफल हो जाये। अतः प्रार्थना पत्र संख्या 1/26 को स्वीकार किया जाकर दिनांक 09.05.2008 को पारित स्थगन आदेश को अपील के लंबित रहने के दौरान अभिवृद्ध किया जावे।

प्रतिवादी/अपीलार्थी की ओर से अपने तर्कों के संमर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किया गया :–

"*Maharwal Khewaji Trust (Regd.), Faridkot Vs Baldev Dass*" (2004) 8 Supreme Court Cases 488"

प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि दिनांक 10.08.2007 को इस न्यायालय के द्वारा जो आदेश पारित किया गया था उक्त आदेश को इस न्यायालय ने दिनांक 07.08.2008 के आदेश के द्वारा संशोधित कर दिया। ऐसी स्थिति में आदेश दिनांक 09.05.2008 अस्तित्व में नहीं रहा। इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी के द्वारा द्वितीय स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 2314/2007 न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था जो दिनांक 30.11.2016 को प्रत्यर्थी व उसके विद्वान अधिवक्ता की अनुपस्थिति होने के कारण खारिज किया गया है, जिसको पुर्नस्थापित करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया, चूंकि उक्त द्वितीय स्थगन प्रार्थना पत्र गुणावगुण के आधार पर खारिज नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में दिनांक 09.05.2008 के आदेश की अभिवृद्धि नहीं की जा सकती। दिनांक 09.05.2008 का उक्त आदेश दिनांक 29.11.2016 में सम्मिलित हो गया तथा इस न्यायालय ने दिनांक 18.11.2014 को जो आदेश पारित किया था वह आदेश भी दिनांक 30.11.2016 के द्वारा द्वितीय स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के आधार पर समाप्त हो गया है। ऐसी स्थिति में दिनांक 09.05.2008 के आदेश की अभिवृद्धि किए जाने का कोई न्यायोचित आधार नहीं होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रतिवादी/अपीलार्थी प्रभुदयाल शर्मा ने प्रथम अपील विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.12.2006 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। उक्त प्रथम अपील में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 10.08.2007 को निम्न आदेश पारित किया गयाः–

> *"in view of the facts and circumstances of the case, till the return of the notices, the executing court shall not proceed to execute the sale deed in favour of the plaintiff-respondent till the next date of hearing."*

दिनांक 07.08.2008 को दोनों पक्षों की उपस्थिति में इस न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश दिनांक 10.08.2007 को संशोधित कर पुष्ट किया गया है। उपरोक्त आदेश दिनांक 10.08.2007, दिनांक 09.05.2008 और दिनांक 07.08.2008 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 10.08.2007 को पारित आदेश को इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 07.08.2008 के आदेश के माध्यम से परिवर्तित कर पुष्ट किया गया है। दिनांक 09.05.2008 को दोनों पक्षों की उपस्थिति में पक्षकारान को वादग्रस्त संपत्ति की यथास्थिति बनाये रखने के संबंध में आदेश दिया गया था। दिनांक 09.05.2008 को पारित आदेश किसी भी विनिर्दिष्ट अग्रिम आदेश के द्वारा समाप्त नहीं किया गया है। दिनांक 30.11.2016 को पारित आदेश के माध्यम से प्रत्यर्थी व उसके विद्वान अधिवक्ता की अनुपस्थिति होने के कारण द्वितीय स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज हुआ है, इस न्यायालय द्वारा गुणावगुण के आधार पर द्वितीय स्थगन आदेश निस्तारित नहीं किया गया है। दिनांक 09.05.2008 का आदेश किसी भी विनिर्दिष्ट अग्रिम आदेश के द्वारा समाप्त नहीं किए जाने के आधार पर और पक्षकारान के अनावश्यक पेचिदगियां उत्पन्न नहीं हो व वाद की बहुलता नहीं

बढ़े। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए आदेश दिनांक 09.05.2008 की अभिवृद्धि किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में प्रतिवादी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र संख्या 1/26 स्वीकार किया जाकर 09.05.2008 के आदेश के अनुरूप पक्षकारान वादग्रस्त संपत्ति के संबंध में अग्रिम आदेश तक यथास्थिति बनाये रखें।

तद्नुसार उक्त प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

Nikita/108